

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/5689 /  
चार-12-15/99 भाग-ग्यारह

जबलपुर, दिनांक 16/09/2021

श्री दिलीप सिंह राठौर, केयर टेकर, उच्च न्यायालय म.प्र., खंडपीठ इंदौर को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 11/1/2008/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 24-01-2008, समसंख्यक पत्र दिनांक 01-04-2008, दिनांक 04-08-2008 एवं दिनांक 24-09-2008 के परिपेक्ष्य में उनके द्वारा 10 वर्ष से अधिक की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप उन्हें वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 03-06-2020 के परिशिष्ट-2 में केयर टेकर हेतु देय उच्चतर वेतनमान अनुसार दिनांक 27-06-2018 से प्रथम समयमान वेतनमान स्वीकृत किया जाता है।

  
(राजेंद्र कुमार वाणी)  
रजिस्ट्रार जनरल  
Ran

पृष्ठांकन क्रमांक B/5690 /  
चार-12-15/99 भाग-ग्यारह

जबलपुर, दिनांक 16/09/2021

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर की ओर इस अनुरोध के साथ कि उच्चतर वेतनमानों में शासकीय सेवक का वेतन नियतन पश्चात् वेतन नियतन की जांच संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष-लेखा एवं पेंशन से करा ली जाए,
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर,
3. रजिस्ट्रार, प्रशासन/कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. एस.पी.एस.ए. (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर आदेश की प्रति उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
5. ओ.एस.डी. (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. अनुभाग अधिकारी, स्था./लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
8. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,

9. सहायक स्थापना/लेखा/बजट/सेवा पुस्तिका/वेतन निर्धारण, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
10. दो अतिरिक्त प्रति सहित ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
11. श्री दिलीप सिंह राठौर, केयर टेकर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
(प्रियदर्शन प्रसाद)  
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

Per

/C-1/